रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 177] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 1972/आषाढ़ 15, 1894
No. 177] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 1972/ASADHA 15, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July 1972

G.S.R. 330(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices), Order, 1970, namely:—

1. (1) This Order may be called the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices), Fourth Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970, in the proviso to sub-clause (ii) of clause (d) of paragraph 3, for the words, brackets and figures "State of Assam, the autonomous State of Meghalaya and the State of Nagaland and in the Union territories of Manipur and Tripura and the North East Frontier Agency, referred to in the North East Frontier Areas (Administration) Regulation, 1954 (1 of 1954)", the words "States of Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur and Tripura and the Union territories of Mizoram and Arunachal Pradesh" shall be substituted.

[No. F. I-11012/6/71-PPD.]

S. D. BHAMBRI, Jt. Secy.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1972

सा० का० नि० 330(अ)—आवश्यक वस्तु अधिनियम का, 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिट्टी का तेल (अधिकतम कीमतों का नियतन) आदेश, 1970 का और संशोधन करने के लिए या केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) यह आदेश चौथा मिट्टी का तेल (अधिकतम कीमतों का नियतन) आदेश, 1972 कहा जा सकेगा ।

 (ii) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।

2. मिट्टी का तेल (अधिकतम कीमतों का नियतन) आदेश, 1970 के पैराग्राफ (कंडिका) 3 की धारा (ब) की उपधारा (II) के परंतुक में, 'असम राज्य, मेघालय के स्वायत्त राज्य एवं नागालैंड राज्य तथा मणिपुर एवं त्रिपुरा के संघ राज्य-क्षेत्रों और उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र (प्रशासन) विनियमन 1954 (1954 का 1) में निर्विष्ट उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण, कोष्ठकों एवं आंकड़ों, शब्दों के स्थान पर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा एवं मिजोराम के संघ राज्य-क्षेत्रों तथा अरुणाचल प्रदेश' शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

[सं० फा० आई०—11012/6/71—पी०पी०डी०]

सत्यदेव भाम्बरी,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972